न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 114/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/188

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1.मीरेखां पुत्र ईसाखां	1.आसीनखां पुत्र हनीफखां
2.अलीखां पुत्र ईसाखां	2.फतेखां पुत्र बचुखां
3..शेरूखां पुत्र ईसाखां	3.बरगत पुत्र सदीक
4.हबीबखां पुत्र ईसाखां	4.बीस्मिला पत्नि मीलेखां
5.हाजीखां पुत्र ईसाखां	5.मरीमों पत्नि मीरेखां
जाति मुसलमान निवासी गंगापुरा तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा	6.मारूफखां पुत्र मीरेखां नाबालिग संरक्षक सरपरस्त बिस्मिला
	7.मिसरेखां पुत्र बचुखां
	8.रेहमानखां पुत्र बचुखां
	9.वली पुत्र सदीक
	10.शेरूखां पुत्र सुभान
	11.इलमदीश पुत्र हनीफखां
	12.समा पुत्र जला
	13.सरपंच ग्राम पंचायत गंगापुरा
	14.सरीफो पत्नि बचुखां
	15.साउ पत्नि हनीफखां
	16.हनीफा पुत्र जला
	17.कालुखां पुत्र बचुखां
	18.गनीखां पुत्र सुभान
	19.गफुरखां पुत्र बचुखां
	20.छोटुखां पुत्र बचुखां
	21.तमाची पुत्र सदीक
	22.नसीरा पुत्र जला
	23.निमाजी पुत्र सुभान जाति मुसलमान निवासी गंगापुरा तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी जिला बालोतरा
	24.हाजीखां पुत्र जोहबा जाति मुसलमान निवासी गंगापुरा तहसील पाटोदी जिला बालोतरा

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

25.कादरखां पुत्र जोहबखां

26.वलीखां पुत्र सदीक

27.मीरेखां पुत्र मीरखां (नाबालिग जरिए सरंक्षक मरीमों)

28.सुभानखां पुत्र साकरखां

जाति मुसलमान निवासी गंगापुरा

29.इमलदीन पुत्र हनीफखां

30.बिस्मिला पत्नी मीलेखां

31.मारूफखां पुत्र मीलेखां नाबालिग जरीए विधिक सरक्षंक बिस्मिला

32.धापू पत्नि उसमान

33.नसीरखां पुत्र उस्मानखां

34.रहमानखां पुत्र उस्मानखां

35.शेरूखां पुत्र उस्मान

36.अलीखां पुत्र निम्बा

37.गफूर खां पुत्र सुलेमान

38.फतेहखां पुत्र सुलेमान

39.मलेखां पुत्र जानुखां

40.सफी मोहम्मद पुत्र सुलेमान

41.सुवटी पत्नि सुलेमान

42.हैदरखां पुत्र सुलेमान

43.मीरेखां पुत्र इस्माल

44.शेरूखां पुत्र इस्माल

45.कालुखां पुत्र इस्माल

46.हबीबखां पुत्र इस्माल

47.हाजीखां पुत्र इस्माल

48.अकबर पुत्र काम्बू

49.बची पुत्र साकरखां

50.मला पुत्र जानू

51.मीरेखां पुत्र इसा

52.मीलेखां पुत्र नसीरखां

53.शेरूखां पुत्र ईसा

54.सफी मोहम्मद पुत्र सुलेमान

55.समदा पत्नी साकरखां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

56.अध्यक्ष कब्रिस्तान विकास समिति
हिनकुडी नाडी गंगापुरा
57.आसीनखां पुत्र नसीरखां
58.छोटुखां पुत्र नसीरखां
59.बकसा पुत्र काम्बू जाति मुसलमान
निवासी गंगापुरा तहसील पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1.श्री सुनील के.मेराजा व श्री छत्रकरण भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 20.12.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम गंगापुरा पटवार हल्का नवोडा बेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2476/2211 क्षेत्रफल 3.9741 हैक्टयर, खसरा संख्या 2477/2211 क्षेत्रफल 1.9748 हैक्टयर,खसरा संख्या 2482/2207 क्षेत्रफल 4.8563 हैक्टयर,खसरा संख्या 2486/2240 क्षेत्रफल 2.5253 हैक्टेयर भूमि व ग्राम नेमतपुरा की खसरा संख्या 2273/2131 क्षेत्रफल 3.8202 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गंगापुरा पटवार हल्का नवोडा बेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2476/2211 क्षेत्रफल 3.9741 हैक्टयर, खसरा संख्या 2477/2211 क्षेत्रफल 1.9748 हैक्टयर,खसरा संख्या 2482/2207 क्षेत्रफल 4.8563 हैक्टयर,खसरा संख्या 2486/2240 क्षेत्रफल 2.5253 हैक्टेयर भूमि व ग्राम नेमतपुरा की खसरा संख्या 2273/2131 क्षेत्रफल 3.8202 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 45 की ओर से जरिए अधिवक्ता इकबाली जवाब पेश किया गया तथा शेष विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 45 अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की सह–खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम गंगापुरा पटवार हल्का नवोडा बेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2476/2211 क्षेत्रफल 3.9741 हैक्टयर, खसरा संख्या 2477/2211 क्षेत्रफल 1.9748 हैक्टयर,खसरा संख्या 2482/2207 क्षेत्रफल 4.8563 हैक्टयर,खसरा संख्या 2486/2240 क्षेत्रफल 2.5253 हैक्टेयर भूमि व ग्राम नेमतपुरा की खसरा संख्या 2273/2131 क्षेत्रफल 3.8202 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गंगापुरा पटवार हल्का नवोडा बेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2476/2211 क्षेत्रफल 3.9741 हैक्टयर, खसरा संख्या 2477/2211 क्षेत्रफल 1.9748 हैक्टयर,खसरा संख्या 2482/2207 क्षेत्रफल 4.8563 हैक्टयर,खसरा संख्या 2486/2240 क्षेत्रफल 2.5253 हैक्टेयर भूमि व ग्राम नेमतपुरा की खसरा संख्या 2273/2131 क्षेत्रफल 3.8202 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम गंगापुरा पटवार हल्का नवोडा बेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2476/2211 क्षेत्रफल 3.9741 हैक्टयर, खसरा संख्या 2477/2211 क्षेत्रफल 1.9748 हैक्टयर,खसरा संख्या 2482/2207 क्षेत्रफल 4.8563 हैक्टयर,खसरा संख्या 2486/2240 क्षेत्रफल 2.5253 हैक्टेयर भूमि व ग्राम नेमतपुरा की खसरा संख्या 2273/2131 क्षेत्रफल 3.8202 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सह–खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.2.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में विवादित आराजी की नाप हेतु पक्षकार सहमत नहीं होना का उल्लेख है,जिससे यह साबित नहीं होता है कि सीमाओं को लेकर विवाद हो। इस कारण न्यायालय हाजा विवादित आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होनी की रिपोर्ट को लेकर आश्वस्त नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गंगापुरा पटवार हल्का नवोडा बेरी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 2476/2211 क्षेत्रफल 3.9741 हैक्टयर, खसरा संख्या 2477/2211 क्षेत्रफल 1.9748 हैक्टयर,खसरा संख्या 2482/2207 क्षेत्रफल 4.8563 हैक्टयर,खसरा संख्या 2486/2240 क्षेत्रफल 2.5253 हैक्टेयर भूमि व ग्राम नेमतपुरा की खसरा संख्या 2273/2131 क्षेत्रफल 3.8202 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20.12.2024 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

20/12/24
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा